रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14032022-234175
SG-DL-E-14032022-234175

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 525
No. 159]	DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943	[N. C. T. D. No. 525

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 11 मार्च, 2022

फा. सं. डीएचइ.18(14)/एसएफआरसी(4th)/2017–18/1159–69.—जैसा कि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.डीएचइ.18(6)/ 2016–17/206–217 दिनॉक 17 जनवरी, 2017 द्वारा शुल्क निर्धारित करने के लिए चतुर्थ राज्य शुल्क विनियामक समिति (एसएफआरसी) का गठन किया गया था । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले निजी तौर पर प्रबंधित संस्थानों में पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्थानों के अनुसार सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए (समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु कैपिटेशन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषणरहित शुल्क का निर्धारण और अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 8) ।

तथा जैसा कि, चतुर्थ राज्य शुल्क विनियामक समिति (एसएफआरसी) (वर्ष 2017–2020 के लिए गठित) की सिफारिशों को अधिसूचना सं.एफ.डीएचइ.18(14)/एसएफआरसी (चतुर्थ)/2017–18/3781–91 दिनॉक 02 अगस्त, 2019 द्वारा वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के लिए अधिसूचित किया गया था ।

तथा जैसा कि, चतुर्थ राज्य शुल्क विनियामक समिति (एसएफआरसी) के अध्यक्ष ने पत्र दिनॉक 14.10.2019 के माध्यम से सूचित किया है कि चौथे एसएफआरसी की सिफारिशें शैक्षणिक वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए छात्रों पर लागू नहीं होती है ।

तथा जैसा कि, तृतीय राज्य शुल्क विनियामक समिति (एसएफआरसी) की रिपोर्ट के अध्याय – 9 में काफी विस्तार से स्पष्ट कानूनी स्थिति और सिद्धांतों में प्रावधान है कि अधिसूचना दिनॉक 02 अगस्त, 2019 वर्ष 2019–20 से पहले भर्ती हुए छात्रों पर लागू नहीं हो सकती क्योंकि यह अधिसूचना स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि चतुर्थ राज्य शुल्क विनियामक समिति (एसएफआरसी) द्वारा अनुसंशित संशोधित शुल्क शैक्षणिक शुल्क 2019–20 से लागू होगा और शैक्षणिक वर्ष 2017–18, 2018–19

में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए तृतीय राज्य शुल्क विनियाम समिति (एसएफआरसी) द्वारा अधिसूचित शुल्क दिनॉक 04.07.2016 को अधिसूचित ही लागू होगा ।

और जैसा कि तृतीय राज्य शुल्क विनियामक समिति (एसएफआरसी) द्वारा अनुशंसित वर्ष, 2013–16 के लिए प्रस्तावित शुल्क राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचना एफ.सं0.डीएचइ.4(68)/एसएफआरसी/2014–15/1947–1960 दिनॉक 04 जुलाई, 2016 के द्वारा अधिसूचित किया गया जो शैक्षणिक वर्ष 2016–17 के लिए नये प्रवेश के लिए लागू किया गया था । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2017–18 और

2018–19 के लिए तृतीय राज्य शुल्क विनियामक समिति (एसएफआरसी) की फीस सिफारिश को लागू करने का निर्णया लिया है ।

इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा(3) और (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल एतद् द्वारा अधिसूचित करते हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2016–17 की फीस संरचना शैक्षणिक वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए लागू होगी ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

रंजना देसवाल निदेशक (उच्च शिक्षा)

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 11th March, 2022

F. No. DHE.18(14)/SFRC (4th)/2017-18/1159-69.—Whereas the Fourth State Fee Regulatory Committee (SFRC) was constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi vide notification number F.DHE.18(6)/SFRC/2016-17/206-217 dated 17th January, 2017 for determining fee to pursue courses in privately managed institutions offering different courses in the National Capital Territory of Delhi and to ensure smooth functioning as per the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007 (Act 8 of 2007).

And whereas, the recommendations of Fourth State Fee Regulatory Committee (SFRC) (constituted for the year 2017-2020) was notified vide notification No. DHE.18(14)/SFRC (4th)/2017-18/3781-91 dated 02.08.2019 for the year 2019-20, 2020-21 & 2021-22.

And whereas, the Chairman of Fourth State Fee Regulatory Committee (SFRC) has informed vide letter dated 14.10.2019 that the recommendations of Fourth SFRC does not apply on the students for the Academic Year 2017-18 & 2018-19.

And whereas, the legal position and principles elucidated in considerable detail in Chapter-9 of the report of Third State Fee Regulatory Committee (SFRC) provides that the Notification dated 02.08.2019 cannot apply to the student admitted prior to 2019-20 because this notification clearly specifies that revised fee recommended by the Fourth State Fee Regulatory Committee (SFRC) shall be applicable from the Academic Year 2019-20 onward and for students admitted in the Academic Year 2017-18, 2018-19, the fee recommended by Third SFRC notified on 04.07.2016, only will apply.

And whereas, the proposed fees for the Academic Year, 2013-16 recommended by the Third State Fee Regulatory Committee was notified by the Government of National Capital Territory of Delhi and implemented for the fresh admission for the Academic Year 2016-17 vide notification no. F.No.DHE.4(68)/SFRC/14-15/1947-1960 dated 4th July, 2016. The Government. of National Capital Territory of Delhi has decided to implement the fees recommendation of Third State Fee Regulatory Committee (SFRC) for the Academic Year .2017-18 & 2018-19.

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub sections(3) and (13) of section 6 of the aforesaid Act, the Lt. Governor of Government of the National Capital Territory of Delhi hereby notifies that the Fee structure of the Academic Year, 2016-17 shall be applicable for the Academic Year 2017-18 & 2018-19.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RANJANA DESWAL, Director (Higher Education)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.14 16:46:49 +05'30'